नम्बर व तारीख इस हुक्म जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O) सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:–09/2023

प्रार्थी:–

तेजसिंह पुत्र श्री अजेसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री भरत गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक:–16.01.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1826/668 रकबा 1.5555 व खसरा संख्या 1828/668 रकबा 1.5808 हैक्टेयर ग्राम जालमपुरा तहसील समदडी में अवस्थित है। प्रार्थी के वल्दियत का वास्तविक नाम अजेसिंह है और उनके राजस्व रेकर्ड के अतिरिक्त अन्य समस्त दस्तावेजात में इसी अनुसार नाम अंकित हैं, किन्तु लिपिकीय त्रुटि से विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के वल्दियत का नाम अजीतसिंह दर्ज हो गया है जिससे नाम– विभिन्नता के कारण प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण, अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा हैं। अतः प्रार्थी ने विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि को दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुये प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के वल्दियत का वास्तविक नाम "अजेसिंह" होने के बावजूद राजस्वकर्मियों की लिपिकीय भूल से "अजीतसिंह" दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का वल्दियत का अन्य समस्त दस्तावेजात–यथा आधारकार्ड,ड्राईविंग लाईसेन्स, पेनकार्ड स्कूल टी.सी व मतदाता पहचान पत्र में वास्तविक नाम दर्ज है । इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में अशुद्व प्रविष्टि के कारण प्रार्थी सरकार द्वारा देय सुविधा से वंचित हो रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के वल्दियत का वास्तविक नाम अजेसिंह है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में "अजीतसिंह" दर्ज है जबकि प्रार्थी

अन्य समस्त दस्तावेजात– यथा ड्राईविंग लाईसेन्स,पेनकार्ड,परिचय पत्र, आधारकार्ड, एवं विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र रा.उ.मा.वि. खण्डप अनुसार प्रार्थी के वल्दियत का नाम ''अजेसिंह'' अंकित है। ऐसी सूरत में राजस्व रेकर्ड की तदनुसार दुरुस्ती किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार सकिया जाकर ग्राम जालमपुरा तहसील समदडी की खसरा संख्या 1826/668 रकबा 1.5555 व खसरा संख्या 1828/668 रकबा 1.5808 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में अंकित शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुये प्रार्थी के वल्दियत का नाम ''अजेसिंह'' के स्थान पर ''अजेसिंह उर्फ अजीतसिंह '' दुरुस्त किये जाने के आदेष दिये जाते हैं। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है ।

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:27:23 IST
Reason: SelfAttested